## झारखण्ड सरकार
## जल संसाधन विभाग

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—499/2017— 66/18-19 य.स.नि./ राँची, दिनांक 14/02/2019

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०—हिनू, राँची।

द्वारा :— आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :— **कुटिपिसी वीयर योजना के मुख्य नहरों का लाईनिंग सहित पुनरूद्धार कार्य के लिए रू० 17.37 करोड़ (रूपये सत्रह करोड़ सैंतीस लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश—स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग प्रक्षेत्राधीन हजारीबाग जिलान्तर्गत कुटिपिसी वीयर योजना के मुख्य नहरों का लाईनिंग सहित पुनरूद्धार कार्य के लिए रू० 17.37 करोड़ (रूपये सत्रह करोड़ सैंतीस लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. कुटिपिसी वीयर योजना से दो मुख्य नहर निकलती हैं, बांयी मुख्य नहर की लम्बाई 5.33 कि०मी० है जिसका जलश्राव 16 क्यूसेक है एवं दांयी मुख्य नहर की लम्बाई 3.04 कि०मी है जिसका जलश्राव 20 क्यूसेक है। दांयी मुख्य नहर के कि०मी० 1.10 से निःसृत वितरणी की लम्बाई 0.40 कि०मी०, बांयी मुख्य नहर के कि०मी० 2.60 से निःसृत वितरणी की लम्बाई 0.94 कि०मी० है। मुख्य नहरों तथा वितरणियों से मूल रूप में 400 हे० सिंचाई क्षमता रूपांकित थी, परन्तु कमाण्ड क्षेत्र में मकान तथा अन्य संरचना निर्माण के बाद कमाण्ड क्षेत्र घटकर मात्र 330 हे० रह गया है।

4. योजना की प्राक्कलित राशि रू० 17,36,82,123.00 लाख (रूपये सत्रह करोड़ छत्तीस लाख बिरासी हजार एक सौ तेईस) मात्र की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग द्वारा निम्नवत् प्रदान की गयी है :—

| Sl. No. | Component | Amount (in Rs.) |
|---|---|---|
| 1 | Head Works | 461269.00 |
| 2 | Earth Work | 12016027.00 |
| 3 | Lining | 112099531.00 |
| 4 | Structure | 28204773.00 |
| | **Total :-** | **152781600.00** |
| | Add : GST - 12% | 18333792.00 |
| | **Total :-** | 171115392.00 |
| | Add : Labour Cess - 1% | 1711153.92 |
| | Add : Contingencies - 0.50% | 855576.96 |
| | **Grand Total :-** | **173682122.88** |
| | **Say :-** | **173682000.00** |

योजना के मुख्य नहरों का लाईनिंग सहित पुनरूद्धार कार्य कराकर 330 हे० खरीफ सिंचन दिया जा सकेगा। इस प्रकार 230 हे० सिंचाई पुनर्बहाल हो सकेगा।

5. यह कार्य को वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रारंभ कर वर्ष 2020–21 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

6. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग होंगे।

7. कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

8. (i) कार्य कराने के पूर्व असंबद्ध प्रमण्डल द्वारा प्रि–लेवल की मापी एवं प्रस्तावित कार्य के मात्रा की जाँच करा ली जायेगी।

(ii) इस कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व मरम्मति / पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) नहर के तटबंध में मिट्टी भराई का कार्य हेतु यथासंभव मिट्टी नहर के बेड से प्राप्त की जायेगी तथा इसके लीड एवं लिफ्ट (Lead & Lift) की गणना, कार्यस्थल के वास्तविक स्थिति के अनुसार की जायेगी जिससे कार्यपालक अभियंता संतुष्ट हो लेंगे, जिसकी जिम्मेवारी उनके स्वयं की होगी।

9. इस योजना पर होने वाला व्यय

मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य, लघु शीर्ष –800– अन्य व्यय, उप शीर्ष–54–पूर्ण सिंचाई योजना का ई०आर०एम०, विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा। (विपत्र कोड– 49S-4701-80-800-54-05-45)

10. वर्ष 2018–19 के लिये प्रस्तावित बजट में पुरानी सिंचाई योजनाओं के ई०आर०एम० कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है –

शीर्ष 49S – 4701 – 80 – 800 – 54 – 05 – 45 में रू० 30000.00 लाख

11. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

12. कार्य के लिये राशि की निकासी हजारीबाग कोषागार, हजारीबाग से की जायेगी।

13. कार्य के लिए भुगतान की राशि मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति रू० 1736.82 लाख तक सीमित होगी।

14. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

15. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

16. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

17. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृति समिति एवं योजना –सह– वित्त मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

18. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

19. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

12.2.19

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांकः— 2 / पी०एम०सी० / कार्य—499 / 2017—66/18-19 यो०(ग)/ राँची, दिनांक 14/02/2019

प्रतिलिपि :— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु / योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/02/19

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

पत्रांकः— 2 / पी०एम०सी० / कार्य—499 / 2017— 66/18-19 यो०(ग) / राँची, दिनांक 14/02/2019

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग कोषागार, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/02/19

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

पत्रांकः— 2 / पी०एम०सी० / कार्य—499 / 2017—66/18-19 यो०(ग)/ राँची, दिनांक 14/02/2019

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग / अभियंता प्रमुख—I, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग / अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल—1 / 2, जल संसाधन विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, हजारीबाग / कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग / ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०—3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु / वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु / उप सचिव (अभियंत्रण) / प्रशाखा पदाधिकारी—7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/02/19

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

पत्रांकः— 2 / पी०एम०सी० / कार्य—499 / 2017—66/18-19 यो०(ग)/ राँची, दिनांक 14/02/2019

प्रतिलिपि :— उपायुक्त, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

13/02/19

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

पत्रांकः— 2 / पी०एम०सी० / कार्य—499 / 2017—66/18-19 यो०(ग)/ राँची, दिनांक 14/02/2019

प्रतिलिपि :— मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची / मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

13/02/19

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव